



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpcfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-53/2016-28 दिनांक : 09/1/17

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सामाजिक वानिकी, योजना, अनुश्रवण एवं
मूल्यांकन प्रमण्डल, राँची

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "झारखण्ड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्यान्वयन इकाई" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत **रु0 100.00 (एक करोड रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-63/2016- 49/स्वी0 व0प0 दिनांक 04.01.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-63/2016- 84/आ0 व0प0 दिनांक 05.01.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष- 56 झारखण्ड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्यान्वयन इकाई योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत एवं आवंटित राशि के अधीन कुल **100.00 (एक करोड रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19P240601101560103	36.000
कार्यालय व्यय	19P240601101560315	2.520
मशीन एवं उपकरण	19P240601101560317	23.000
आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601101560323	34.500
प्रशिक्षण व्यय	19P240601101560335	3.980
कुल :-		100.000

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी, योजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रमण्डल, राँची होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति **परिशिष्ट-1** पर द्रष्टव्य है। योजना का कार्यान्वयन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड, राँची के देख-रेख में सम्पन्न कराया जायेगा।

4/1/17

3. इस योजना का कोड संख्या— 19P240601101560103, 19P240601101560315, 19P240601101560317, 19P240601101560323 तथा 19P240601101560335 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करायेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित करेंगे।

5. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों के अनुसार की जायेगी तथा निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन नियमानुसार निविदा के आधार पर किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

7. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जायेगा तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के आधार लिंग बैंक खाते/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड, राँची के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उनके लिए वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

10. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

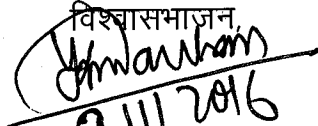
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

12. परियोजना के कार्यान्वयन में अनुदानित राशि का व्यय ससंगत वित्त नियमावली के आलोक में वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा, जो स्वीकृत राशि के अंतर्गत होगी तथा राशि का विचलन किसी अन्य कार्य में नहीं किया जायेगा एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित करना होगा।



13. स्वीकृत योजना के सफल कार्यान्वयन तथा ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र सरकार को समर्पित करने का उत्तरदायित्व अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड, राँची पर होगा।

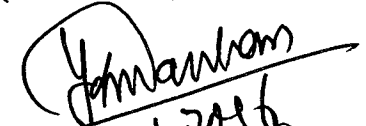
अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

09/11/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-40/2016-28 दिनांक- 09/11/17

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड, राँची/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

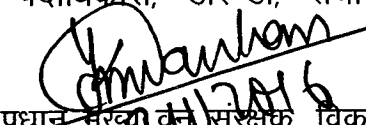
अनुलग्नक :- यथोक्त ।


09/11/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-40/2016-28 दिनांक- 09/11/17

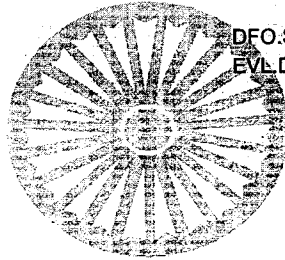
प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


09/11/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601101560323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 56 - झारखण्ड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्यान्वयन इकाई 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	82533	DRNFWL080 A.K.MEHROTRA DFO.SF.PLAN.MONIT.& EVL.DIV.RA	3,450,000.00 रुपये चौतीस लाख पचास हजार

5	P 19 240601101560335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 56 - झारखण्ड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्यान्वयन इकाई 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	82534	DRNFWL080 A.K.MEHROTRA DFO.SF.PLAN.MONIT.& EVL.DIV.RA	398,000.00 रुपये तीन लाख अठानवे हजार
---	---	-------	--	---



योग:

3,848,000.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड़

10,000,000.00

(Signature)
(SHRI.Y.K.SINGH, CHANDHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND



DRAFT COPY

आवंटन आदेश

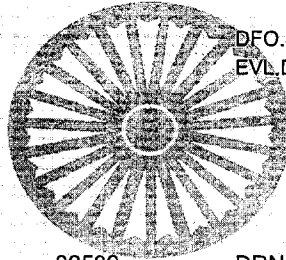
झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

संचिका संख्या - 01/YB-53/2016

दिनांक -

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601101560103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 56 - झारखण्ड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्यान्वयन इकाई 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	82530	DRNFWL080 A.K.MEHROTRA DFO.SF.PLAN.MONIT.& EVL.DIV.RA	3,600,000.00 रुपये छत्तीस लाख
2	P 19 240601101560315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 56 - झारखण्ड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्यान्वयन इकाई 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय	82531	DRNFWL080 A.K.MEHROTRA DFO.SF.PLAN.MONIT.& EVL.DIV.RA	252,000.00 रुपये दो लाख बावन हजार
3	P 19 240601101560317 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 56 - झारखण्ड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्यान्वयन इकाई 03 - प्रशासनिक व्यय 17 - मशीन एवं उपकरण	82532	DRNFWL080 A.K.MEHROTRA DFO.SF.PLAN.MONIT.& EVL.DIV.RA	2,300,000.00 रुपये तेइस लाख



6,152,000.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये इकसठ लाख बावन हजार

(SHRI.K.SINGH CHAUHAN IPS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND